छत्तीसगढ़ शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
:: मंत्रालय ::
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

क्र. 7243/ वि–6 / पंग्राविवि / NRLM/MA / 2019 अटल नगर, दिनांक 04/09/2019

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत– समस्त,
छत्तीसगढ़।

विषय :– बुनियादी ढांचे, मानव विकास एवं आर्थिक गतिविधि के आधार पर ग्राम पंचायतों को श्रेणीबद्ध करने के संबंध में।

संदर्भ :– संयुक्त सचिव, भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र क्रमांक F.No. J-11060/43/2016-RL-Part(1) (E-352456) दिनांक 23.08.2018।

----000----

जैसा कि आपको विदित है कि विभाग अंतर्गत राज्य की समस्त 10976 ग्राम पंचायतों व उसके पोषित ग्रामों के सर्वांगीण विकास हेतु भारत सरकार द्वारा **"सबकी योजना सबका विकास"** अभियान प्रारंभ किया जा रहा है, जिसके तहत दिनांक 02 अक्टूबर से 31 दिसम्बर 2019 तक समस्त ग्रामों की "ग्राम पंचायत विकास योजना–जीपीडीपी" तैयार कर ग्राम सभा से अनुमोदित कराया जायेगी। संदर्भित पत्र के माध्यम से भारत सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास विभाग द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि **"सबकी योजना सबका विकास"** अभियान के तहत समस्त ग्रामों की आधारभूत जानकारी **(Baseline Survey)** प्राप्त की जाये, ताकि ग्राम सभा के माध्यम से बनने वाली "ग्राम पंचायत विकास योजना–जीपीडीपी" को और अधिक सारगर्भित बनाया जा सके। उक्त सर्वे पूर्व में मिशन अंत्योदय पंचायत में किये गये सर्वे की भांति किया जायेगा।

2/ राज्य की समस्त 10976 ग्राम पंचायतों में 120 बिन्दुओं पर सर्वे कराया जाकर एक मोबाईल एप "MA-App" के माध्यम से सर्वे इंद्राज किया जायेगा। **सर्वेक्षण हेतु प्रपत्र संलग्नक–1 में दर्शित है।**

3/ उक्त सर्वे हेतु जिला एवं विकासखण्ड स्तर पर नोडल अधिकारियों का चयन किया जाना है, जिस हेतु ग्रामीण विकास विभाग की विभिन्न योजनाओं यथा एसआरएलएम, मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन आदि के अमले का चयन किया जाये।

4/ प्रत्येक जिले से लगभग 8 जिला स्त्रोत व्यक्तियों का चयन जिलों द्वारा किया जायेगा, जिन्हें हैदराबाद में प्रशिक्षित अमले द्वारा प्रशिक्षित किया जायेगा एवं इन जिला स्तरीय स्त्रोत व्यक्तियों द्वारा ग्राम स्तरीय कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण प्रदाय किया जायेगा। इन स्त्रोत व्यक्तियों का चयन करने समय पूर्व में Intensive Participatory Planning Exercise (IPPE) में शामिल सदस्य एवं

क्रमशः....2

विगत वर्ष 2018 में की गई इसी प्रक्रिया में शामिल अधिकारियों को प्राथमिकता दिया जाना है। **जिला एवं विकासखण्ड स्तरीय नोडल अधिकारियों की जानकारी एमएस एक्सेल में तैयार कर दिनांक 02 सितम्बर 2018 तक ईमेल के माध्यम से एसआरएलएम कार्यालय को उपलब्ध करायें।**

5/ **सर्वेक्षण दल का चयन**– उक्त सर्वेक्षण मोबाईल बेस्ड एप के माध्यम से किया जायेगा, जिस हेतु एक प्रपत्र तैयार किया गया है, जिसमें जानकारी प्राप्त की जाकर मोबाईल एप में प्रविष्टि की जायेगी। एक ग्राम पंचायत के सर्वे हेतु 2 सदस्यीय दल (सीआरपी, ग्राम रोजगार सहायक, ~~आवास मित्र~~, छात्र/छात्रायें आदि को शामिल करते हुए) का चयन किया जायेगा। **प्रत्येक दल द्वारा 2 कार्य दिवसों में एक ग्राम पंचायत का सर्वे पूर्ण किया जायेगा।** इन दलों में ऐसे सदस्यों का चयन करना है, जिनके पास स्वयं का एंड्रायड मोबाईल फोन हो। सर्वेक्षण दल का चयन, सर्वेक्षित की जाने वाली ग्राम पंचायतों में से या आसपास के ग्रामों से ही किया जाये, ताकि आवागमन की असुविधा से बचा जा सके।

6/ **सर्वे दल का प्रशिक्षण**– जिलों द्वारा चयनित किये गये सर्वे दल की जानकारी भी राज्य कार्यालय को उपलब्ध करायी जायेगी ताकि सर्वेक्षण हेतु आवश्यक यूजरनेम एवं पासवर्ड बनाया जाकर दलों को उपलब्ध कराया जा सके। जिलों के 8 स्त्रोत व्यक्तियों, जिन्हें राज्य स्तर पर प्रशिक्षित किया जायेगा, द्वारा विकासखण्ड स्तर पर सर्वे दलों को प्रशिक्षण प्रदाय किया जायेगा। प्रशिक्षण में सर्वेक्षण का तरीका एवं सर्वे उपरांत प्राप्त जानकारी को मोबाईल एप में प्रविष्ट करने की प्रक्रिया को शामिल किया जायेगा।

7/ **सर्वेक्षण का तरीका**– प्रत्येक दल द्वारा ग्राम सर्वेक्षण के दौरान पंच, सरपंच, ग्राम पंचायत सचिव, ग्राम संगठन के पदाधिकारियों, एकीकृत बाल विकास योजना के कार्यकर्ता, स्वास्थ्य कार्यकर्ता, स्कूल शिक्षक, करारोपण अधिकारी, एनजीओ, विभिन्न विभागों के जमीनी स्तर के कार्यकर्ता व अन्य सामुदायिक संगठनों के प्रतिनिधियों से चर्चा कर निर्धारित प्रारूप में जानकारी भरी जायेगी। दल सर्वेक्षण के दौरान ग्राम की समस्त बसाहटों खासकर अनु.जा. व अजजा बसाहटों का भ्रमण कर जानकारी को भरना सुनिश्चित करेगा। **इस बात का विशेष ध्यान रखा जाये कि सर्वेक्षण दल द्वारा प्राप्त की जा रही जानकारी ग्राम में मौजूद समस्त संबंधित प्रतिनिधियों के सहयोग से भरी जाये एवं इसमें किसी भी प्रकार की कोताही न बरती जाये।**

8/ **सर्वेक्षित जानकारी का सत्यापन**– प्रत्येक दल द्वारा सर्वेक्षित की गई जानकारी का प्रिंट लेते हुए उसे ग्रामसभा के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा एवं ग्रामसभा द्वारा यदि कोई सुझाव दिये गये हैं, तो उसके आधार पर जानकारी में सुधार करते हुए संशोधित सर्वेक्षित जानकारी को ग्रामसभा से अनुमोदित कराया जायेगा।

क्रमशः....3

9/ सर्वेक्षण दल के सदस्यों को सर्वेक्षण हेतु रूपये 330 मात्र प्रति ग्राम पंचायत के मान से मानदेय का भुगतान किया जायेगा। इस पर होने वाला व्यय एनआरएलएम के आईबीसीबी मद से किया जायेगा।

10/ **सर्वेक्षण पर संभावित व्यय**–सर्वेक्षण के दौरान निम्न मदों पर व्यय होना संभावित है:–

11.1/ जिला स्त्रोत व्यक्तियों द्वारा सर्वेक्षण दलों का प्रशिक्षण।
(अधिकतम सर्वे दल सदस्य x रू. 1100)

11.2/ सर्वेक्षण दल के प्रत्येक सदस्य को मानदेय भोजन व आवागमन हेतु के रूप में रूपये 330/– प्रति ग्रामपंचायत, 2 मानव दिवस हेतु।
(कुल सर्वेक्षित ग्रामपंचायत x 2 सदस्य प्रतिदल x कुल 2 मानवदिवस x रू. 330)

11/ **तकनीकी सहायता**– सर्वेक्षण का कार्य चूंकि पूर्णतः मोबाईल बेस्ड एप के माध्यम से कराया जाना है, अतः इसमें आने वाली तकनीकी परेशानियों को ध्यान में रखते हुए राज्य स्तर पर श्री रजत चौबे, सहायक राज्य कार्यक्रम प्रबंधक–एमआईएस के नेतृत्व में एमआईएस टीम का निम्नानुसार गठन किया गया है, ताकि जिलों को आने वाली परेशानियों का तत्काल निराकरण किया जा सके:–

क्र.	नाम प्रोग्रामर	विभाग	आबंटित जिला	मोबाईल नं.
1	श्री रजत चौबे	एसआरएलएम	टीम लीडर	98279-25352
2	श्री हेमंत साहू	एसआरएलएम	बेमेतरा, गरियाबंद, जशपुर, कोरबा, रायपुर	97548-34325
3	श्री हिमाचल वर्मा	मनरेगा	बालोद, बिलासपुर, महासमुंद, सुकमा	99268-46454
4	श्री मेहन्दी तिलक	एसआरएलएम	बीजापुर, जांजगीर, कोरिया, राजनांदगांव	94077-09569
5	श्री प्रकाश परिहार	आवास योजना	बलौदाबाजार, कबीरधाम, मुंगली, सरगुजा	89826-92554
6	श्री विजय चंद्राकर	एसआरएलएम	बलरामपुर, धमतरी, कांकेर, नारायणपुर, सूरजपुर	81037-97844
7	श्री राजेश गुप्ता	एसआरएलएम	बस्तर, दंतेवाड़ा, दुर्ग, कोण्डागांव, रायगढ़	99078-29995

12/ **एमआईएस टीम की जिम्मेदारियां**– निम्नानुसार होगी :–

12.1/ सर्वेक्षण के पूर्व समस्त जिला स्त्रोत व्यक्तियों का डाटाबेस प्राप्त करेगी, ताकि जिला स्त्रोत व्यक्तियों को राज्य स्तर पर प्रशिक्षण प्रदाय किया जा सके।

क्रमशः....4

12.2/ सर्वेक्षण हेतु जिला स्त्रोत व्यक्तियों से संपर्क स्थापित करते हुए सर्वेक्षण करने वाली टीम के प्रत्येक सदस्य की जानकारी यथा नाम, मोबाईल नंबर, फोन का प्रकार आदि का संग्रहण करेंगी, ताकि उनके यूजर नेम व पासवर्ड आदि उपलब्ध कराये जा सके।

12.3/ एमआईएस टीम द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा, कि प्रत्येक सर्वेक्षण दल के मोबाईल में मिशन अंत्योदय–एप इंस्टॉल किया जा चुका है एवं उसमें जानकारी भरी जा सकती है।

12.4/ सर्वेक्षण के दौरान आने वाली विभिन्न परेशानियों या समस्याओं का तत्काल निराकरण किया जायेगा।

12.5/ एमआईएस प्रभारी अधिकारी द्वारा जिला स्तरीय स्त्रोत व्यक्तियों के प्रशिक्षण दिनांक से कार्य समाप्ति तक प्रतिदिन सायं जिलावार स्टेट रिपोर्ट मिशन संचालक, एसआरएलएम को प्रस्तुत की जायेगी एवं उसे संबंधित व्हॉटसअप ग्रुप में पोस्ट किया जायेगा।

12.6/ एमआईएस प्रभारी यह सुनिश्चित करेगा, कि किसी जिले के मोबाईल एप्लीकेशन में दर्शित हो रही ग्राम पंचायतों की संख्या व नाम सही हैं, अथवा नहीं। यदि किसी जिले में ग्राम पंचायतें की संख्या कम या ज्यादा अथवा अन्य जिले व राज्य की ग्राम पंचायतें प्रदर्शित हो रही हैं, तो तत्काल ऐसी ग्राम पंचायतों की सूची मय एलजीडी कोड के नोडल अधिकारी को उपलब्ध करायेंगे, ताकि ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार से समन्वय स्थापित कर उसमें सुधार कराया जा सके।

13/ सर्वे हेतु निम्नानुसार समय–सारिणी निर्धारित की जाती है:–

क्र.	गतिविधि	अवधि	गतिविधि स्तर
1	जिला स्तरीय स्त्रोत अधिकारियों का प्रशिक्षण	9 सितम्बर 2019	ठाकुर प्यारेलाल राज्य पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान, निमोरा
2	विकासखण्ड स्तरीय स्त्रोत अधिकारियों का प्रशिक्षण	11 सितम्बर 2019	समस्त जिला मुख्यालयों पर
3	सर्वे दलों के सदस्यों का प्रशिक्षण	12 एवं 13 सितम्बर 2019	समस्त संबंधित विकासखण्ड मुख्यालयों पर
4	सर्वे कार्य का संपादन	16 से 28 सितम्बर 2019	समस्त संबंधित ग्राम पंचायतों में
5	सर्वे उपरांत प्राप्त जानकारी को ग्रामसभा में अनुमोदन	02 अक्टूबर 2019 उपरांत	समस्त संबंधित ग्राम पंचायतों की ग्रामसभा

क्रमशः....5

13/ उक्त के अनुक्रम में जिला स्तरीय नोडल अधिकारियों हेतु प्रशिक्षण का आयोजन दिनांक 09 सितम्बर 2018 को ठाकुर प्यारेलाल राज्य पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान, निमोरा, रायपुर में किया गया है, जिसमें केवल जिला स्तरीय नोडल अधिकारियों को ही शामिल होना है।

14/ चूंकि उक्त सर्वे पूर्णतः मोबाइल बेस्ड एप के माध्यम से किया जाना है, अतः जिला स्तरीय नोडल अधिकारी एवं विकासखण्ड स्तरीय नोडल अधिकारी के पास स्वयं का एन्ड्रायड बेस्ड मोबाईल (विन्डो अथवा आईफोन नहीं) होना आवश्यक है, जिसमें कम से कम 1 जीबी की स्पेस रिक्त होना आवश्यक है।

15/ कृपया जिला स्तरीय एवं विकासखण्ड स्तरीय नोडल अधिकारियों की जानकारी निम्न प्रारूप में दिनांक 8 सितम्बर 2018 तक MS-Excel में तैयार कराकर veekeshagrawal@yahoo.com एवं vijaychandrakar123@gmail.com पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, ताकि इनके लॉगिन आईडी एवं पासवर्ड बनाये जा सके।

District	Name of Nodal Officer	Date of Birth	Sex	ID Type (DL, PAN, PASSPORT, VOTER ID)	ID No.	Email ID	Mobile No.	Role (District or Block Nodal)	Block Name (In case of Block Nodal)	Pin Code
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

अधिक जानकारी हेतु श्री वीकेश अग्रवाल, नोडल अधिकारी मिशन अंत्योदय मो.नं. 94068-09786 से सम्पर्क किया जा सकता है। उक्त कार्यक्रम भारत सरकार की प्राथमिकता में शामिल है अतः इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए उपरोक्तानुसार सर्वेक्षण कार्य पूर्ण कराना एवं दिनांक 02 अक्टूबर 2019 से आयोजित होनेवाली ग्रामसभा में अनुमोदन कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नः—यथोपरि।

(आर.पी.मण्डल)
अपर मुख्य सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

पृ. क्रमांक 7244/वि–6/पंग्राविवि/NRLM/MA/2019 अटल नगर, दिनांक 04/09/2019

प्रतिलिपि :–

1. **सचिव,** भारत सरकार, पंचायती राज मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली।
2. **विशेष सचिव,** मुख्य सचिव कार्यालय, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, अटल नगर।
3. **आयुक्त,** मनरेगा, इंद्रावती भवन, अटल नगर।
4. **संचालक,** एसआईआरडी, निमोरा की ओर, राज्य स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु आवश्यक व्यवस्थायें सुनिश्चित कराये जाने हेतु।

5. **संचालक,** पंचायत संचालनालय, इंद्रावती भवन, अटल नगर।
6. **राज्य मिशन संचालक**, छ.ग.राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, अटल नगर।
7. **संचालक,** प्रधानमंत्री आवास योजना, इंद्रावती भवन, अटल नगर।
8. **कलेक्टर,** जिला–समस्त, छत्तीसगढ़।
9. **सर्व एमआईएस दल** श्री/सुश्री...की ओर कार्य को प्राथमिकता देते हुए पालनार्थ।

Mandal
3.8.19

(आर.पी.मण्डल)
अपर मुख्य सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग